

## 12329 - रमजान के महीने के दिन में संभोग करने से सम्बंधित छः फतावे

### प्रश्न

यह बात किसी पर रहस्य नहीं कि जिस व्यक्ति ने रमजान के दिन में अपनी पत्नी से संभोग कर लिया उस पर एक गुलाम आज़ाद करना या लगातार दो महीने रोज़े रखना या साठ मिस्कीनों (गरीबों) को खाना खिलाना अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि :

- 1- अगर आदमी अपनी पत्नी से एक से अधिक बार और विभिन्न दिनों में संभोग कर ले, तो क्या वह प्रत्येक दिन के बदले दो महीना रोज़ा रखे गा, या केवल दो महीने का रोज़ा रख लेना उन सभी दिनों के लिए काफी है जिन में उसने संभोग किया है ?
- 2- यदि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस ने अपनी पत्नी से संभोग किया है, उस पर उपर्युक्त हुक्म लागू होता है, बल्कि वह यह समझता था कि जितने दिन उस ने अपनी पत्नी से संभोग किया है उस के बदले एक दिन क़ज़ा करना होगा। तो इस का क्या हुक्म होगा ?
- 3- क्या पत्नी पर भी उसी तरह कफ़ारा अनिवार्य है जिस तरह पति पर अनिवार्य है ?
- 4- क्या खाने के बदले पैसा भुगतान करना जाइज़ है ?
- 5- क्या अपनी तरफ से और पत्नी की तरफ से एक ही मिस्कीन को खाना खिलाना जाइज़ है ?
- 6- यदि किसी को खाना खिलाने के लिए न पाये तो किसी खैराती संस्था उदाहरण के तौर पर रियाज़ में स्थित जमईयतुल बिर या किसी अन्य संस्था को देना जाइज़ है ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

जिस व्यक्ति पर रोज़ा अनिवार्य है :

प्रथम : यदि उस ने अपनी पत्नी से रमजान के दिन में एक बार या एक से अधिक बार एक ही दिन में संभोग किया है, तो उस पर एक ही कफ़ारा अनिवार्य है यदि उस ने पहले संभोग का कफ़ारा नहीं दिया है। और यदि उस ने रमजान के दिन में कई दिनों में संभोग किया है, तो उस पर उन सभी दिनों के अनुसार कफ़ारा अनिवार्य है जिन में उसने संभोग किया है।

दूसरा : उस पर संभोग करने से कफ़ारा अनिवार्य हुआ है, चाहे वह (हुक्म से अनभिज्ञ) जाहिल ही क्यों न हो उस पर संभोग



के कारण कफ़ारा अनिवार्य है।

तीसरा : पत्नी पर भी संभोग के कारण कफ़ारा अनिवार्य है यदि वह इस मामले में अपने पति की बात मानने वाली थी। किन्तु जिसे बाध्य (मजबूर) किया गया हो उस पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

चौथा : खाना खिलाने के बदले पैसा देना जाइज़ नहीं है, और ऐसा करना उसके लिए क़िफ़ायत नहीं करेगा (पर्याप्त नहीं होगा)।

पांचवाँ : एक ही मिसकीन को आधा साअ अपनी ओर से और आधा साअ अपनी पत्नी की तरफ से खाना खिलाना जाइज़ है। और इसे उन दोनों की तरफ से साठ मिसकीनों में से एक मिसकीन को खाना खिलाना समझा जायेगा।

छठा : उसे एक ही मिसकीन को देना जाइज़ नहीं है, और न ही खैराती संस्था या अन्य किसी को देना जाइज़ है, क्योंकि हो सकता है कि वह साठ मिसकीनों पर वितरित न करे। मोमिन पर अनिवार्य यह है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को कफ़ारों और अन्य वाजिब चीज़ों से बरी करने का अभिलाषी हो।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे पैग़ंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, उनकी सन्तान और उनके साथियों पर दया और शान्ति अवतरित करे।